संख्या: 2/2017/350 /पैंतीस-2-2017

प्रेषक,

पी0एन0 त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या प्रभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 20 अप्रैल,2017**

विषय- **वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम पांच माह के लिए स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-673/ले0-41/2016, दिनांक 06.04.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2017-18 में अर्थ एवं संख्या प्रभाग के अधिष्ठान व्यय हेतु आय-व्ययक में प्रावधानित बजट व्यवस्था के सापेक्ष प्रथम पांच माह हेतु संलग्न विवरण अनुसार रू0 3502.24 लाख (रू0 पैतीस करोड़ दो लाख चौबीस हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल प्रदान करते है।

3- स्वीकृत धनराशि व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02.01.2017 में उल्लिखित प्रावधानों/शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय निर्धारित मदों के समक्ष अंकित धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशियों का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5- वस्तुओं के क्रय करते समय उत्तर प्रदेश स्टोर पर्चेज रूल्स तथा शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाय।

6- स्वीकृत धनराशि का आहरण, आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा। धनराशि को आहरित कर पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा।

7- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

8- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक-"3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-001-निदेशन एवं प्रशासन-03- अर्थ एवं संख्या निदेशालय" के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9- यह आदेश वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के पत्र संख्या-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017, दिनांक 20.03.2017 में दिये गये निर्देश के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(पी0एन0 त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

संख्या: 2/2017/350(1)/पैतीस-2-2017-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा, सत्य निष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
5. वित्त (लेखा) अनुभाग-1
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पी0एन0 त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>शासनादेश संख्या: 2/2017/350 /पैंतीस-2-2017, दिनांक 20 अप्रैल, 2017 का संलग्नक</u>

अनुदान संख्या-40 लेखाशीर्षक-3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-001-निदेशन एवं प्रशासन-03-अर्थ एवं संख्या निदेशालय के अन्तर्गत -

मानक मद	**वर्ष 2017-18 में स्वीकृत धनराशि (लाख रू0 में)**
01-वेतन	3000.00
02-मजदूरी	3.08
03-मंहगाई भत्ता	150.00
04-यात्रा व्यय	32.62
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	4.17
06-अन्य भत्ते	132.00
08-कार्यालय व्यय	23.21
09-विद्युत देय	23.08
10-जलकर/जल प्रभार	1.67
11-लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई	10.83
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	8.12
13-टेलीफोन पर व्यय	6.00
14-मोटर गाड़ियो का क्रय	16.29
15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद	14.58
16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2.00
17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	9.37
18-प्रकाशन	28.08
29-अनुरक्षण	2.08
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	3.42
45-अवकाश यात्रा व्यय	2.08
46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	3.50
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी क्रय	8.56
49-चिकित्सा व्यय	17.08
51-वर्दी	0.42
योग	**3502.24**

(रू0 पैतीस करोड़ दो लाख चौबीस हजार मात्र)

(पी0एन0 त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।